[1][धारा 158क : कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना

(1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाईल की गई विवरणी में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे;

(ख) बीजक के सृजन के लिये सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिये सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिये,–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जायेगी, जो विहित की जायें

(3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा धारा 158क अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।